

**कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं0राज0(प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर**

(कार्यालय का पता- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज0, लक्ष्मी निवास पैलेस के पास, लालगढ़, बीकानेर)

दूरभाष -0151-2226551 ई-मेल - aayukt.ele@gmail.com

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/सांख्यिकी/DBT/8592/2022-23

दिनांक- यथाहस्ताक्षर

**समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)  
प्रारम्भिक शिक्षा।**

**विषय:-** बजट घोषणा 29.00.00 वर्ष (2024-25) के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-** संयुक्त शासन सचिव महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक F.24(02)ELE.EDU./PLAN/2024-04916 दिनांक 10.01.2025

उपरोक्त प्रसंगान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 29.00.00 वर्ष (2024-25) "आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्रायें विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की घोषणा। इस प्रकार लगभग 70 लाख (सत्तर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।" के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अंकित कि गई टिप्पणी के क्रम में बालक-बालिकाओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि के रूप में रुपये 800/-प्रति बालक/बालिका DBT किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि के रूप में रुपये 800/- प्रति बालक/बालिका DBT किये जाने की आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार

**सीताराम जाट (IAS)**

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/सांख्यिकी/DBT/8592/2022-23

दिनांक-

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।



निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय